

**।। कार्यालय – जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्योपुर, जिला श्योपुर (म0प्र0) ।।**

www.districtcourt.mphc.gov.in, Email- dcourtshe-mp@nic.in

phone : 07530-221419, fax : 07530-223700

जावक क्रमांक— /2020

श्योपुर, दिनांक 02.05.2020

**—:: विविध आदेश ::—**

विषय – कोरोना वायरस (COVID-19)—राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन की 15 दिन की अवधि में जिला मुख्यालय श्योपुर एवं आउट लाइंग स्टेशन विजयपुर में अत्यावश्यक न्यायिक/प्रशासनिक कार्य व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भ – 1. माननीय उच्च न्यायालय का आदेश क्र0 क्यू-1, क्यू-2 दिनांक 22.03.2020, करिजेंडम क्यू-3 व क्यू-4, दिनांक 22.03.2020, सर्कुलर क्र0 क्यू-5 दिनांक 25.03.2020, उक्त सर्कुलर से संलग्न प्राप्त भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय न्याय विभाग का अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 20.03.2020 और गृह मंत्रालय का आदेश क्र0 40-3/2020-डीएम-1/ए नई दिल्ली, दिनांक 24.03.2020 तथा मान्. उच्च न्यायालय आदेश क्रं. क्यू-6 दिनांक 14.04.2020 एवं क्यू-11 दिनांक 02.05.2020।

2. कार्यालय विविध आदेश दिनांक 31.03.2020 एवं 757 दिनांक 15.04.2020।

—000—

समस्त संदर्भित आदेशों की प्रतियां माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट, जिला न्यायालय श्योपुर की वेबसाइट, श्योपुर आई0टी0 गुप, न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ई-मेल्स और व्हाट्सएप गुप पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त विषय में, कोरोना वायरस (COVID-19)—राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि में, जिला मजिस्ट्रेट, जिला श्योपुर द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अंतर्गत पारित आदेश के आलोक में **दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 17.05.2020** तक के लिए, न्यायिक जिला स्थापना श्योपुर में, अत्यधिक महत्व/अर्जेसी से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु निम्नानुसार व्यवस्था तत्काल प्रभाव से आदेशित की जाती है –

1. समस्त सिविल जिला श्योपुर अर्थात जिला मुख्यालय एवं बाह्यवर्ती न्यायालय विजयपुर में दिनांक 17.05.2020 तक कोई नियमित न्यायिक कार्य नहीं होगा। उक्त अवधि में न्यायालय बंद रहेंगे। अत्यावश्यक प्रकृति के सिविल मामलों में अर्जेसी का निर्धारण जिला न्यायाधीश श्योपुर द्वारा किए जाने के उपरांत, जिन न्यायिक अधिकारी के क्षेत्राधिकार का मामला होगा, उनको सौंपा जावेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सो-मोटो रिट पिटीशन (सिविल क्र0 3/2020) में दिनांक 23.03.2020 को पारित आदेशानुसार अपीलों और अन्य सुसंगत आवेदन पत्रों, कार्यवाहियों में विहित परिसीमा 15.03.2020 से अग्रिम आदेश तक विस्तारित की गई है। अतः उक्त प्रकरण आवेदन पत्र और अन्य कार्यवाहियां अर्जेट प्रकृति के व्यवहारित नहीं किए जावेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 जिन मामलों में प्रयोज्य हों, उनमें अभियोग-पत्र एवं जमानत आवेदन पत्रों की प्रस्तुति अर्जेट प्रकृति की मानी जावेगी।

2. अन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय जमानत के अर्जेट मामलों (प्रथम जमानत आवेदन पत्र/माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में जमानत तस्दीक करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र) में, निम्न तालिका अनुसार जिला मुख्यालय श्योपुर एवं बाह्य स्टेशन विजयपुर में अपर सत्र न्यायाधीशगण 01 घंटे की अवधि की बैठक **प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे (जिला मजिस्ट्रेट श्योपुर द्वारा प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 11:00 बजे तक की अवधि अत्यावश्यक सेवाओं हेतु प्रतिबंध से मुक्त) के मध्य** न्यायालय कक्ष/चेम्बर में **वीडियो कान्फेसिंग “Vedio Conferencing/Vidyo App”** के माध्यम से करेंगे।

स0क0	नाम एवं पदनाम	दिनांक	मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी0
01.	श्री रविन्दर सिंह, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) श्योपुर म0प्र0	04.05.2020	91318-38088 ravinder.singh@mphc.in
		06.05.2020	
		08.05.2020	
		10.05.2020	
	श्री अजय कुमार टेलर अपर सत्र न्यायाधीश विजयपुर	12.05.2020	94254-11711 ak.tailor@mphc.in
		14.05.2020	
		16.05.2020	
2.	श्री अजय कुमार टेलर अपर सत्र न्यायाधीश विजयपुर	05.05.2020	94254-11711 ak.tailor@mphc.in
		07.05.2020	
		09.05.2020	
		11.05.2020	
	श्री आर0एम0 भगवती अपर सत्र न्यायाधीश श्योपुर म0प्र0	13.05.2020	94257-94400 rkm.bhagwati@mphc.in
		15.05.2020	
		17.05.2020	
3	श्री राजेश जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी विजयपुर	04.05.2020	99075-41380 rajesh.jain@mphc.in
		05.05.2020	
		06.05.2020	
		07.05.2020	
	श्री अनुराग खरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी श्योपुर	08.05.2020	72239-53006 anurag.khare008@gmail.com
		09.05.2020	
		10.05.2020	
4	श्री राजेश जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी विजयपुर	11.05.2020	99075-41380 rajesh.jain@mphc.in
		12.05.2020	
		13.05.2020	
		14.05.2020	
	श्री रविन्द्र गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी श्योपुर	15.05.2020	94257-62607 ravindra.gupta@mphc.in
		16.05.2020	
		17.05.2020	

3. आपराधिक प्रकरणों में उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र सत्र न्यायालय के निष्पादन लिपिक श्री मनोज गुप्ता, मोबाईल नंबर 79747-07371 के समक्ष दिनांक 04.05.2020 से 17.05.2020 तक प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे के मध्य प्रस्तुत किए जाएंगे। सत्र न्यायाधीश श्योपुर द्वारा कण्डिका क्र-2 में वर्णित अर्जेन्ट मामलों के अतिरिक्त अन्य मामला, यदि अर्जेन्ट मामला होना पाया जाता है, तो उस मामला को "Vedio Conferencing/Vidyo App/ Watts app" के माध्यम से बंगला कार्यालय से सुनवाई कर उपरोक्त आवेदन पत्र, विधिवत सुनवाई हेतु संबंधित विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश श्योपुर/विजयपुर को सौंपे जावेंगे।

4. जमानत आवेदन पत्र निरस्त किए जाने की दशा में प्रतिलिपि प्रदाय की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए आदेशित किया जाता है कि अत्यावश्यक कार्य (रिमाण्ड एवं जमानत आवेदन पत्र) के सम्पादन के दौरान ऐसे नामांकित न्यायिक अधिकारीगण संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार के सामान्य लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर निरस्ती आदेश की सत्यापित प्रति अपने हस्ताक्षर से सत्यापित कर संबंधित अधिवक्ता/पक्षकार को प्रदान करेंगे।

5. विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 श्योपुर द्वारा अन्यतः सुनवाई योग्य मामलों में निष्पादन लिपिक श्री पी०पी० सिंह जादौन, मोबाईल नंबर 98263-95074 उपरोक्तानुसार जमानत आवेदन पत्र/जमानत तस्दीक आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे।
6. विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 श्योपुर द्वारा अन्यतः सुनवाई योग्य मामलों में निष्पादन लिपिक श्री संजय समाधिया मोबाईल नंबर 99817-78342 उपरोक्तानुसार जमानत आवेदन पत्र/जमानत तस्दीक आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे।
7. श्री रविन्दर सिंह, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) श्योपुर के अपरिहार्य कारणों से नियत दिनांक को ड्यूटी करने में असमर्थ होने की दशा में श्री आर०एम० भगवती, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं श्री आर०एम० भगवती अपर सत्र न्यायाधीश के अपरिहार्य कारणों से नियत दिनांक को ड्यूटी करने में असमर्थ होने की दशा में श्री रविन्दर सिंह विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) श्योपुर को दूरभाष/व्हाट्सएप/ई-मेल के द्वारा सूचित करेंगे। श्री रविन्दर सिंह के स्थान पर श्री आर०एम० भगवती एवं श्री आर०एम० भगवती के स्थान पर श्री रविन्दर सिंह ड्यूटी करेंगे। जिसकी सूचना जिला न्यायाधीश श्योपुर को तत्काल दी जावेगी।
8. श्री रविन्द्र गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्योपुर के अपरिहार्य कारणों से नियत दिनांक को ड्यूटी करने में असमर्थ होने की दशा में श्री अनुराग खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं श्री अनुराग खरे के अपरिहार्य कारणों से नियत दिनांक को ड्यूटी करने में असमर्थ होने की दशा में श्री रविन्द्र गुप्ता को दूरभाष/व्हाट्सएप/ई-मेल के द्वारा सूचित करेंगे। श्री रविन्द्र गुप्ता के स्थान पर श्री अनुराग खरे एवं श्री अनुराग खरे के स्थान पर श्री रविन्द्र गुप्ता ड्यूटी करेंगे। जिसकी सूचना जिला न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्योपुर को तत्काल दी जावेगी।
9. प्रशासनिक कार्य हेतु श्री अशोक कुमार बाथम, उप प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री विकास गाडगे, सिस्टम असिस्टेंट के मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई०डी० निम्नानुसार अधिसूचित किए जाते हैं :-

स०क्र०	नाम एवं पदनाम	मोबाईल नंबर	ई-मेल आई०डी०
01.	श्री अशोक कुमार बाथम, उप प्रशासनिक अधिकारी	94257-66465	ashokbatham@gmail.com
02.	श्री विकास गाडगे, सिस्टम असिस्टेंट	98266-86224	vikas.gadge92@gmail.com

ड्यूटी कर रहे न्यायिक अधिकारी के कार्य में सहयोग हेतु निष्पादन लिपिक के अलावा स्टेनोग्राफर/टाईपिस्ट एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी सेवाएं देंगे। संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा इस हेतु संबंधित कर्मचारी को सूचित किया जा सकेगा।

प्रशासकीय सुविधा के अनुसार उपरोक्तानुसार सुनवाई हेतु नियत की गई टाइमिंग में यथोचित परिवर्तन किया जा सकेगा।

प्रकरणों के पंजीयन कार्य हेतु जिला न्यायालय स्थापना में पदस्थ श्री सादिक खान, मोबाईल नंबर 70006-99522 की ड्यूटी दिनांक 04.05.2020 से 17.05.2020 तक **प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे के मध्य** लगाई जाती है। बाह्य स्टेशन विजयपुर में पंजीयन की व्यवस्था संबंधित न्यायिक अधिकारी करेंगे।

अर्जेंट प्रकृति के आवेदन पत्रों पर विद्वान अभिभाषक तर्क लिखित में प्रस्तुत करेंगे। मौखिक तर्क व्हाट्सएप/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/स्काइप के माध्यम से सुनाए जा सकेंगे। आवश्यक होने पर पक्षकार के साथ केवल एक ही अभिभाषक संक्षिप्त समय के लिए सुनवाई हेतु उपस्थित रह सकेंगे।

( आर.बी. गुप्ता )  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
श्योपुर (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्रमांक - 814 / 2020  
प्रतिलिपि :-

श्योपुर, दिनांक 02.05.2020

1. रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर,
5. जिला दंडाधिकारी, जिला श्योपुर म0प्र0
6. पुलिस अधीक्षक, जिला श्योपुर म0प्र0  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय श्योपुर।
8. समस्त न्यायिक अधिकारी, श्योपुर/विजयपुर, जिला श्योपुर म0प्र0
9. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, श्योपुर/विजयपुर की ओर उक्त सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाने हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय श्योपुर म0प्र0
11. सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय श्योपुर म0प्र0
12. अध्यक्ष/सचिव, जिला अभिभाषक संघ, श्योपुर/विजयपुर,
13. लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक श्योपुर/विजयपुर
14. जिला अभियोजन अधिकारी/अति० जिला अभियोजन अधिकारी श्योपुर/विजयपुर
15. वरिष्ठ उप अधीक्षक/उप अधीक्षक, जिला जेल श्योपुर/सब जेल विजयपुर, जिला श्योपुर म0प्र0।
17. प्रभारी अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग/तलवाना अनुभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 18- प्रशासनिक अधिकारी/उपप्रशासनिक अधिकारी श्योपुर की ओर समस्त न्यायाधीशगण एवं संबंधितों के वाट्सएप पर प्रेषित किये जाने हेतु।
- 19- सिस्टम आफिसर/सिस्टम असिस्टेंट, कम्प्युटर सर्वर रूम श्योपुर की ओर सभी न्यायाधीशगण को ई-मेल एवं जिला न्यायालय की आफिसियल वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित।



(आर.बी. गुप्ता)  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
श्योपुर (म0प्र0)